



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ११, अंक २५]

गुरुवार, नोव्हेंबर ६, २०२५/कार्तिक १५, शके १९४७

[पृष्ठ ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

ग्राम विकास विभाग

बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट,
मुंबई ४०० ००१, दिनांकित ३ नवम्बर २०२५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2025.

AN ORDINANCE

Further to amend the Maharashtra Village Panchayats Act and the
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ सन् २०२५।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति
अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९५९
का ३।
सन् १९६२
का महा. ५।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान
हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र
जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही
करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अध्याय - दो

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन।

सन १९५९ का ३
की धारा १०-१क
में संशोधन।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, “महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम ” कहा गया है), की, धारा १०-१क में, विद्यमान परन्तुकों के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन १९५९
का ३।

“परन्तु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सदस्य होने से निरह हो जाएगा।”।

सन १९५९ का ३
की धारा ३०-१क
में संशोधन

३. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ३०-१क में, विद्यमान परन्तुकों के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह **सरपंच** होने से निरह हो जाएगा।”।

अध्याय - तीन

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में संशोधन ।

सन् १९६२ का ४. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, “महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम ” कहा गया है) की, धारा १२क में, महा. ५ । विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन १९६२ का महा. ५ की धारा १२क में संशोधन।

“परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है परन्तु, जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह **पार्षद** होने से निरह हो जाएगा।”।

५. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की, धारा ४२ की, सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ४२ में संशोधन। उप-धारा (६क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

“परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है परन्तु, जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह अध्यक्ष होने से निरह हो जाएगा।”।

सन १९६२ का
महा. ५ की धारा
६७ में संशोधन

६. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा ६७ की, उप-धारा(७ क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात्:—

सन
१९६२ का
महा. ५ ।

“परंतु, कोई व्यक्ति, जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है परन्तु, जिसे नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,-

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सभापति होने से निरह हो जाएगा।”।

वक्तव्य

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन १९५९ का ३) की धारा १०-१क और ३०-१क और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा १२क, ४२ और ६७ यह उपबंध करती है कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या, यथास्थित, नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए सदस्य, पार्षद, सरपंच, अध्यक्ष या सभापति के पद की सीट पर निर्वाचन लड़ने इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, नामांकन पत्र के साथ महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जातियों), खानाबदोश जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े प्रवर्गों (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) के उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र और संवीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

२. वर्ष २०२५-२०२६ में, राज्य में बड़े पैमाने पर स्थानीय निकायों के निर्वाचन लिए जानेवाले हैं। आरक्षित सीटों पर ऐसे निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक होनेवाले उमेदवारों से विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जाति संवीक्षा समिति को बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए, ऐसे निर्वाचनों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पूर्व जाति संवीक्षा समितियों पर ऐसे आवेदनों की संवीक्षा करने के कार्य का अत्याधिक बोझ पड़ सकेगा तथा ऐसे निर्वाचनों के पूर्व प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात् ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो सकेगी।

जाति संवीक्षा समिति द्वारा समय पर, जाति विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी न किए जाने के कारण केवल आरक्षित सीटों पर ऐसे निर्वाचन लड़ने के अवसर से प्रत्याशित उम्मीदवार वंचित रह सकेंगे। इसलिए, सरकार आरक्षित सीटों पर निर्वाचन लड़नेवाले और जिन्होंने जाति विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जाति संवीक्षा समिति को आवेदन किया है ऐसे व्यक्तियों को जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुए है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने की दृष्टि से और यदि वह छह महीने के भीतर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा ऐसा उपबंध करने के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. चूँकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

आचार्य देवव्रत,

महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

मुंबई,

दिनांकित २ नवम्बर २०२५ ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

एकनाथ डवले,

सरकार के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,

प्रभारी भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।